HRA En USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2011/चैत्र 15, 1933

No. 579]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 1933

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2011

आय-कर

का.आ. 694(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5ग में,— (क) "वैज्ञानिक" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं का लोप किया जाएगा;
 - (ख) उप-नियम (1) के खण्ड (i) में, "खण्ड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "या खण्ड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- उक्त नियम के नियम 5घ के स्थान पर निम्निलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
 "वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अनुसंधान संगम को धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
 - 5घ. (1) आवेदन अनुसंधान संगम का एकमात्र उद्देश्य, यथास्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान करना होगा ।
 - (2) आवेदक अनुसंधान संगम स्वयं अनुसंधान क्रियाकलाप करेगा ।
 - (3) धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन अनुमोदन की ईप्सा करने वाला अनुसंधान संगम लेखा बहियां रखेगा और ऐसी बहियों की संपरीक्षा धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित अकाउन्टेंट द्वारा कराएगा तथा ऐसे अकाउन्टेंट द्वारा

सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट मामले पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर विवरणी देने की नियत तारीख को भेजेगा।

- (4)अनुसंघान संगम प्राप्त संदानों का और वैधानिक अनुसंघान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंघान या सांख्यिकी अनुसंघान के लिए उपयोग की गई राशि का पृथक विवरण रखेगा और ऐसे विवरण की संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ भेजेगा।
- (5) अनुसंघान संगम धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को निम्नलिखित से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करेगा:-
 - (i) पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत टिप्पण ;
- (ii) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंघान लेखों का संक्षिप्त विवरण ;
- (iii) वर्ष के दौरान किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकारों का आवेदन और उनका रिजस्ट्रीकृत किया जाना ;
- (iv) आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन ।
 - (6) यदि आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि -
 - (क) अनुसंघान संगम लेखा बहियां नहीं रख रहा है ; या
 - (ख) अनुसंघान संगम अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट देने में असफल रहा है ; या
- (ग) अनुसंधान संगम ने अनुसंधान के लिए प्राप्त धन राशि और उपयोग की गई धनराशि का अपना विवरण या उपनियम (5) में निर्दिष्ट विवरण नहीं दिया है ; या
- (घ) अनुसंधान संगम ने अपने अनुसंधान क्रियाकलाप करना बंद कर दिया है या उसके क्रियाकलाप प्रमाणिक नहीं हैं : या
- (ड) अनुसंधान संगम उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है जिनके अधीन रहते हुए उसे अनुमोदन प्रदान किया गया था,
- तो वह पर्याप्त पूछताछ करने के पश्चात् उपर्युक्त खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।"।
- 4. उक्त नियम के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 3गच-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. - 3गच- 1 [नियम 5ग और 5घ देखिए]

अनुसंधान संगम के मामले में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) में खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप

- 1. (i) संगम का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
 - (ii) न्यास विलेख/रिजस्ट्रीकरण विलेख/संगम-ज्ञापन और अनुच्छेद की एक प्रति संलग्न करें और यदि संगम पहले ही अनुमोदित है तो अनुमोदन संख्यांक और नवीनतम अधिसूचना की तारीख लिखे [कृपया प्रति संलग्न करें]।
 - (iii) यदि अनुमोदन पूर्व में वापस ले लिया गया हो तो उन कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण अनुमोदन वापस लिया गया था [अनुमोदन/अनुमोदनों को वापस लेने वाले आदेश/आदेशों की प्रति संलग्न करें]।
 - (iv) वह तारीख जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है।
- 2. संगम की विधिक प्रास्थिति :

क्या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है या कंपनी है या अन्य । (रजिस्ट्रीकरण/निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

- 3. अनुसंधान संगम का उद्देश्य
- 4. (i) संगम की अनुसंधान प्रयोगशाला/अनुसंधान सुविधा का पता (पते)
 - (ii) स्थापना का वर्ष ;
 - (iii) संगम के उस अधिकारी का नाम और पता जो प्रयोगशाला/अनुसंघान सुविधा का भारसाधक है;
 - (iv) संगम द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान क्रियाकलाप में लगे हुए कर्मचारियों की कुल संख्या ;
- 5. संगम के स्वामित्वाधीन अनुसंघान प्रसुविधाओं और आस्तियों की सूची :
 - (i) संयत्र और मशीनरी;
 - (ii) भूमि और भवन, अर्जन की लागत सहित;
 - (iii) कोई अन्य अनुसंधान प्रसुविधा/आस्ति, अर्जन की लागत सहित ;
- 6. संगम द्वारा हाथ में लिए गए अनुसंघान विषय और परियोजनाएं :
- (i) संगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं, यदि कोई हों ;
 - (ii) अनुसंघान परियोजनाएं, जिन पर इस वर्ष के दौरान कार्य किया गया हो, और वे अनुसंघान परियोजनाएं जो पिछले वर्षों से चल रही है;
 - (iii) किसी प्रख्यात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधान लेख ;

- 7. सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान या अनुसंधान के अन्य विवरण:
 - (i) विकसित नए उत्पाद, संक्रियाएं, पद्धतियां और तकनीक ;
 - (ii) विद्यमान उत्पादों, संक्रियाओं, पद्धतियों, तकनीकों में स्धार;
 - (iii) आयात किए जाने वाले उत्पादों का स्थान लेने वाले उत्पाद;
 - (iv) फाइल किए गए, अभिप्राप्त पेटेंट, यदि कोई हों, और यदि है, तो किसके नाम में ?
- (v) क्या उपर्युक्त (i) में वर्णित उत्पाद, संक्रियाएं, पद्धतियां और तकनीकें वाणिज्यिक बनाई गई है या क्रियान्वित की गई है और यदि की गई है तो किसके द्वारा ?
 - (vi) विकसित नए सिद्धांत/माडल ;
 - (vii) नई परिकल्पनाएं जो व्यापक रूप से स्वीकार की गई ;
 - (viii) प्रतिलिप्याधिकार के लिए आवेदन किया गया/प्राप्त किए गए ;
 - (ix) पेटेंट या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों से उपार्जन, यदि कोई हों ।
- 8. संगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित संगोष्ठियों, सम्मेलनों कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठयक्रमों आदि, के ब्यौरे, और संगम द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान क्षेत्र या किए गए क्रियाकलाप के लिए ऐसे आदान-प्रदान की सुसंगतता के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पण संलग्न करें।
- 9. भविष्य में अनुसंघान के लिए अनुध्यात कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों पर होने वाले संभावित व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय परियोजनाएं।
- 10. (i) संगम के आय के स्रोत (पिछले तीन वर्षों के लिए)
 - (ii) निर्धारण विशिष्टियां उपदर्शित करें :

(स्थायी खाता संख्यांक, वार्ड/सर्किल, यदि कर का निर्धारण किया गया हो)

- (iii) आय की अंतिम विवरणी कब प्रस्तुत की गई थी ?
- 11. पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंघान संगम द्वारा प्राप्त की गई और अनुसंघान के लिए वास्तविक रूप से उपयोग की गई रकम :

| वर्ष | प्राप्त राशि | | | स्तंभ (2) में की रकमों में से अनुसंघान के लिए वास्तविक रूप से उपयोग की गई रकमें |
|------|------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | | | (3) |
| | संदान अनुदान योग | | | |
| | | | | |

12. दानदाताओं की सूची संलग्न करें, जिसमें उनके नाम, पूरे डाक पते और उनमें से प्रत्येक के द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संगम को संदत्त रकम दर्शित की जाए (पचास हजार रुपए से अधिक राशि देने वाले दानदाताओं के स्थायी खाता संख्यांक का वर्णन करें)

- 13. पिछले तीन वर्षों के संगम के संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रति संलग्न करें।
- 14. उपर मद 10 में वर्णित वर्ष के दौरान अनुसंधान के लिए उपयोग नहीं की गई रकमों से किए गए विनिधान :
 - (i) बैंक में सावधि निक्षेप;
 - (ii) कंपनियों में सावधि निक्षेप ;
 - (iii) सरकारी प्रतिभृतियां ;
 - (iv) शेयर, डिबेंचर आदि ;
 - (v) हाथ नकदी;
 - (vi) अन्य, यदि कोई हो, जो (i) से (v) में नहीं आते हैं ।

| प्रमाणित | किया | जाता | है | कि | उपर्युक्त | सूचना | मेरी | सर्वोत्तम | जानकारी | और | विश्वास | के | अनुसार |
|----------|------|------|----|----|-----------|-------|------|-----------|---------|----|---------|----|--------|
| सही है | | | | | • | Ψ, | | | | | | • | J |

| स्थान | • • | | • • | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|
| तारीख | | ••• | | | |

हस्ताक्षर

पदनाम

पता

उपाबंध

धारा 10(21) के अधीन छूट का दावा करने वाले अनुसंधान संगम द्वारा प्रस्तुत किया जाए वित्तीय वर्ष

- 1. वर्ष के दौरान प्राप्त रवैच्छिक अभिदायों सहित संगम की कुल आय
- 2. ऊपर मद 1 में निर्दिष्ट आय की ऐसी राशि जो संगम के उद्देश्यों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपयोग की गई है या उपयोग की गई समझी गई है
- 3. संगम के उद्देश्यों के लिए संचयित राशि।
- 4. (i) ऐसे निवेशों या निक्षेपों की प्रकृति, उनका मूल्य और उनसे होने वाली आय दर्शित करते हुए उन ढंगों का ब्यौरा दीजिए जिनमें संगम की निधियों का निवेश या निक्षेप किया जाता है।
- (ii) ऐसी निधियों का ब्यौरा, जिनका धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट ढंगों में निवेश नहीं किया गया है

| क्रम | समुत्थान का नाम | कंपनी के मामले में धारित | निवेश का | निवेश से |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------|
| संख्यांक | और पता | शेयरों की संख्या और वर्ष | अंकित मूल्य | आय |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |

- 5. (i) क्या संगम कोई कारबार कर रहा है (ब्यौरा दें)
 - (ii) क्या कारबार उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के आनुषंगिक है ?
 - (iii) क्या ऐसे कारबार के संबंध में पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं ?
- 6. अभिदायों की प्रकृति मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरा (नकदी से भिन्न और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदायों का उपयोग किया गया है)
- 7. संगम द्वारा या उसकी ओर से निम्नलिखित से क्रय किए गए शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्ति का ब्यौरा :
 - (i) संगम का संप्रवर्तक ;
 - (ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने संगम को एक लाख रुपए से अधिक का अभिदाय किया है;
 - (iii) जहां हिन्दू अविभक्त कुटुंब संप्रवर्तक है, वहां हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य;
 - (iv) संगम का प्रबंधक (जिस नाम से भी पुकारा जाए);
 - (v) संप्रवर्तक, सदस्य या प्रबंधक का नातेदार:
- (vi) कोई समुत्थान जिसमें उपमद (i) से (v) तक में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति सारवान हित
- 8. क्या संगम की आय का कोई भाग या उसकी किसी संपत्ति का ऐसी रीति में प्रयोग या उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई फायदा, सुविधा, परिलिख्ध (चाहे धन में संपरिवर्तित हो या नहीं) प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा दीजिए।
- 9. धारा 10(21) के पहले परंतुक द्वारा यथा लागू धारा 11(3) के आधार पर संगम की आय समझी गड़ रकम ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम ज्ञानकारी और विश्वास के विश्वास के सही है

| स्थान | | |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| तारीख | | |
| | | |
| | हस्ताक्ष | E |
| | पदनाम् | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | पूर्ण पता | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | [अधिसूचना सं. 19/2011/फा. सं. 142 आशीष कमार निव | ./3/2011-टीपीएल शक (टीपीपल-1 |

टिप्पण: मूल नियम अधिनियम सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 2 उनमें अंतिम संशोधन आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 अधिसूचना सं. का.आ. 647(अ), तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2011

INCOME-TAX

- S.O. 694(E).— In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the income-tax(Fourth Amendment) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5C. -
 - (a) the word "scientific", wherever it occurs, shall be omitted;
 - (b) in sub-rule(1) in clause(i) after the words, brackets and letters "clause(ii)", the words, brackets and letters "or clause(iii)" shall be inserted.
 - 3. For the rule 5D of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "Conditions subject to which approval is to be granted to a research association under clause (ii) or clause(iii) of sub-section (1) of section 35.
 - **5D.**(1) The sole object of the applicant research association shall be to undertake scientific research or research in social science or statistical research as the case may be.
 - (2) The applicant research association shall carry on the research activity by itself.
 - (3) The research association seeking approval under clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) of section 35 shall maintain books of account and get such books audited by an accountant as defined in the *Explanation* to sub-section (2) of section 288 and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139.
 - (4) The research association shall maintain a separate statement of donations received and amount applied for scientific research or research in social science

or statistical research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to in sub-rule (3).

- (5) The research association shall, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139, furnish a statement to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax containing—
- (i) a detailed note on the research work undertaken by it during the previous year;
- (ii) a summary of research articles published in national or international journals during the year;
- (iii) any patent or other similar rights applied for or registered during the year;
- (iv) programme of research projects to be undertaken during the forthcoming year and the financial allocation for such programme.
- (6) If the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax is satisfied that the research association,—
- (a) is not maintaining books of account, or
- (b) has failed to furnish its audit report, or
- (c) has not furnished its statement of the sums received and the sums applied for scientific research or research in social science or statistical research or a statement referred to in sub-rule (5), or
- (d) has ceased to carry on its research activities, or its activities are not genuine, or
- (e) is not fulfilling the conditions subject to which approval was granted to it, he may after making appropriate enquiries furnish a report on the circumstances referred to in clauses (a) to (e) above to the Central Government within six months from the date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139".
- 4. In Appendix II to the said rules, for Form No.3CF-I, the following Form shall be substituted, namely:-

'FORM NO.3CF-I [See rules 5C and 5D]

Application Form for approval under clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 in the case of a research association

- 1. (i) Name and address of the registered office of the Association;
 - (ii) Enclose a copy of the Trust Deed/Deed of Registration/Memorandum and Articles of Association, and if the Association was approved earlier, furnish approval number and date of the latest notification [Please enclose a copy];
 - (iii) If approval was withdrawn in the past, mention reasons on account of which the approval was withdrawn [Enclose a copy of the Order/Orders withdrawing approval/approvals];

- (iv) Date from which approval is sought for.
- 2. Legal status of the Association:

Whether Registered Society or Company or Others. (Enclose a copy of certificate of registration/incorporation)

- Object of the research association.
- (i) Address(es) of the research laboratory/ research facility of the Association;

(ii) Year of establishment,

(iii) Name and address of the Officer of the Association in-charge of the laboratory/research facility;

- (iv) Total number of employees engaged in scientific, social or statistical research activity carried on by the Association.
- 5. List of research facilities or assets owned by the Association:

(i) Plant and machinery;

(ii) Land and building along with cost of acquisition;

- (iii) Any other research facility/asset with cost of acquisition.
- 6. Research subjects and projects undertaken by the Association:

(i) Research projects completed by the association during the last three years, if any;

Research projects, which have been taken up during the year and research projects which are underway from the past years;

- (iii) Research papers published in any eminent national or International Research Journal.
- 7. Other details of scientific research or research in social science or statistical research:

(i) New products, processes, methods, techniques developed;

(ii) Improvements in the existing products, processes, methods, techniques;

(iii) Products of import substitution;

(iv) Patents filed, obtained, if any, and if so, in whose name?

(v) Whether products, processes methods and techniques mentioned at (i) above have been commercialized or implemented and if so, by whom?

(vi) New theories / models developed;

(vii) New hypothesis which has been widely accepted;

(viii) Any copyright applied for/ obtained;

- (ix) Earnings from patents or registered trademarks, if any.
- 8. Enclose details of seminars, conferences, workshops and training courses, etc., conducted by the Association during the last three years and a brief note regarding the relevance of such exchanges to the research area or activity carried on by the Association.

(ii)

- 9. Programmes contemplated for research in future and financial projections to meet the likely expenditure on such programmes.
- 10. (i) Sources of income of the Association (for the last three years);
 - (ii) Indicate assessment particulars: (PAN, Ward/Circle, if assessed to tax)
 - (iii) When was the last return of income furnished?

11. Amounts received by the research association and actually applied for research by it during the last three years:

| Year | Amounts received | | | Amounts actually utilised for research out of the amounts at oolumn (2) |
|------|------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | | | (3) |
| | Donation | Grant | Total | |

- 12. Attach a list of donors giving their names, complete postal addresses and the amounts paid by each of them to the association during the last three years. (Mention PAN of donors paying the sums in excess of fifty thousand rupees)
- **13.** Enclose the copy of audited annual accounts of the association for the last three years.
- 14. Investments made out of the amounts not utilised for research during the year mentioned at item 10 above:
 - (i) Fixed deposits with banks;
 - (ii) Fixed deposits with companies:
 - (iii) Government securities:
 - (iv) Shares, Debentures, etc.;
 - (v) Cash in hand:
 - (vi) Others, if any, not covered under (i) to (v)

| Pla ce | |
|---------------|--------------|
| Date | • |
| | Signature |
| | Designation |
| | Full Address |

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

ANNEXURE

To be furnished by a research association claiming exemption under section 10(21) Financial Year

- 1. Total income of the Association including voluntary contributions received during the year.
- 2. Amount of income referred to at item 1 above that has been or deemed to have been applied wholly and exclusively for the objects of the Association.
- 3. Amount accumulated for the objects of the Association.
- 4.(i) Details of modes in which the funds of the association are invested or deposited showing nature, value and income from such investments or deposits.
 - (ii) Details of funds not invested in modes specified in section 11(5):

| Serial Number | Name and address of the concern. | In the case of a company – number and class of shares held. | Face value of Investment. | Income from Investment. |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

- 5. (i) Is the association carrying on any business (give details)?
 - (ii) Is the business incidental to the attainment of its object?
 - (iii) Are separate books of account maintained in respect of such business?
- 6. Details regarding the nature, quantity and value of contributions (other than cash and the manner in which such contribution have been utilised).
- 7. Details of shares, security or other property purchased by or on behalf of the association from:
 - (i) the founder of the association;
 - (ii) any person who has made a contribution exceeding rupees one lakh to the association;
 - (iii) any member of a Hindu undivided family where the Hindu undivided family is a founder;
 - (iv) the manager (by whatever name called) of the association;
 - (v) a relative of the founder, member or the manager,
 - (vi) any concern in which any of the persons referred to in sub-items (i) to (v) have a substantial interest.
- 8. Whether any part of the income or any property of the association was used or applied, in a manner which results directly or indirectly in conferring any benefit,

amenity or perguisite (whether converted into money or not) on any interested person. If so, the details thereof.

9. Amount deemed to be income of the association by virtue of section 11(3), as applicable by the first proviso to section 10(21).
Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

> [Notification No. 19/2011/ F. No. 142/3/2011-TPL] ASHISH KUMAR, Director (TPL-1)

Note:—The principal rules were published vide notification No.S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amendment by Income-tax (Second Amendment Rules, vide Notification S.O. No.647(E) dated the 29th March, 2011)